10

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र.

निगरानी/नरसिंहपुर/भू.रा/2017/6003
राजस्व निगरानी क्रमांक............../2017

दिलीपसिंह जाट आत्मज कन्हैयालाल जाट
निवासी नरसिहपुर हार तह. व जिला नरसिंहपुर ......आवेदक/ पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

1:- राजेन्द्र मनोहर आत्मज स्व.राममनोहर तिवारी
2:- राकेश मनोहर आत्मज स्व. रामनोहर तिवारी
3:- रवीन्द्र मनोहर आत्मज स्व. राममनोहर तिवारी
4:- सरस्वतीबाई पत्नि स्व. राममनोहर तिवारी
सभी निवासी- सुनका चौराहा रामवार्ड कन्देली नरसिहपुर
तहसील व जिला नरसिहपुर .....अनावेदकगण

01 NOV 2017

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू-रा. संहिता

पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा यह पुनरीक्षण श्रीमान अतिरिक्त कमिशनर महोदय जबलपुर संभाग जबलपुर के द्वारा राजस्व निगरनी क्रमांक 238/अ-12-10-11 में पारित आदेश दिनांक 5/9/2017 से पीड़ित होकर उक्त निगरनी तथ्यों एवं आधारों के आधार पर प्रस्तुत करता है :-

निगरानी के तथ्य

1:- यह कि आवेदक मौजा नरसिंहपुर नं.व. 278 प.ह.नं. 17 तहसील व जिला नरसिंहपुर में स्थित खसरा नबंर 230/2 रकवा 4.931 हेक्टेयर का भूमिस्वामी मालिक काविज काश्तकार है उसके द्वारा कुछ जमीनें बैनामें से विक्रय की गई थी जो रोड़ तरफ मात्र 50 कड़ी चौड़ी रही है । तथा जमीन पश्चिम दिशा से दूसरे किसानों से लगकर विक्रय की गई थी इसके उपरांत आवेदक के पास वर्तमान शेष भूमि खसरा नबंर 230/2 रकवा 2.793 हेक्टेयर है । एवं मौके पर कोई हदबंदी नहीं है और वर्तमान में समस्त भूमि पर आवेदक काश्तकारी कर रहा है । एवं आवेदक की जानकारी में पटवारी द्वारा कभी भी नक्शा नहीं काटा गया है एवं और ना ही आवेदक अनावेदक द्वारा नक्शा दुरूस्ती हेतु कभी कोई कार्यवाही की गई फिर भी अनावेदकगणों द्वारा बैनामें में दी गई चर्तुसीमा के विपरीत मनमाने तरीके से हलका पटवारी से साठगांठ करके नक्शा काट दिया गया ।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक 6003–एक/2017 निगरानी नरसिंहपुर

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के, हस्ताक्षर
10/8/18	यह निगरानी अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्र.क. 238 अ–12/10–11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 5–9–2017 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ निगरानी की प्रचलनशीलता पर आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने तथा अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के आदेश दिनांक 5–9–2017 के अवलोकन से परलिक्षित है कि आवेदक की ओर से तहसीलदार नरसिंहपुर के प्रकरण कमांक 44 अ–12/09–10 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 15–5–2010 के विरूद्व अपर कलेक्टर नरसिंहपुर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई थी। अपर कलेक्टर नरसिंहपुर ने प्रकरण कमांक 7 अ–12/10–11 में पारित आदेश दिनांक 14–12–10 से निगरानी निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्व आवेदक ने अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की। अपर आयुक्त जबलपुर संभाग, जबलपुर ने प्र.क. 238 अ–12/10–11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 5–9–2017 से निगरानी निरस्त करते हुये आदेश में अंकित किया है कि वादोक्त भूमि का सीमांकन आवेदक की उपस्थिति में किया गया है तथा आवेदक व्दारा तहसीलदार के समक्ष की गई आपत्ति का भी सुनवाई उपरांत निराकरण हुआ है। अपर आयुक्त जबलपुर संभाग, जबलपुर के आदेश दिनांक 5–9–2017 में अंकित तथ्यों अनुसार परिलक्षित है कि तहसीलदार नरसिंहपुर के सीमांकन आदेश दिनांक 15–5–2010 में निकाले गये निष्कर्ष, अपर कलेक्टर नरसिंहपुर के आदेश दिनांक 14–12–10 में निकाले गये निष्कर्ष एंव अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के आदेश दिनांक 5–9–2017 में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी सारहीन प्रतीत होने से इसी स्तर पर अमान्य की जाती है। सदस्य	